इकाई 8 व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा'

इकाई की रूपरेखा

8.1 प्रस्तावना

8.2 उद्देश्य

8.3 व्यावसायिक शिक्षा

- 8.3.1 व्यावसायिक शिक्षा की संकल्पना
- 8.3.2 विद्यालयी शिक्षा का व्यावसायीकरण

8.4 व्यावसायिक शैक्षिक संसाधन

8.5 व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की भारत में वर्तमान स्थिति

- 8.5.1 औपचारिक व्यवस्था में +2 स्तर पर व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम
- 8.5.2 अन्य अभिकरणों तथा अनौपचारिक और दूरस्थ माध्यम से व्यावसायिक शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.6 व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका तथा महत्व

- 8.6.1 मानव संसाधन और विकास के लिए शिक्षा
- 8.6.2 राष्ट्र निर्माण के लिए व्यावसायिक शिक्षा
- 8.6.3 ज्ञान अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में व्यावसायिक शिक्षा
- 8.6.4 समाज के हाशिए के वर्गों के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा
- 8.6.5 विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा

8.7 केन्द्र और राज्य स्तर पर योजनाएँ

8.8 सारांश

8.9 अभ्यास कार्य

8.10 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

8.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.1 प्रस्तावना

भारत एक ऐसा देश है, जहाँ व्यवसाय को शिक्षा से अलग कभी नहीं देखा गया है। परन्तु, औपनिवेषिक प्रभाव के कारण, पारंपरिक भारतीय प्रणाली में शिक्षा के व्यावसायीकरण को हतोत्साहित किया गया और एक नई प्रणाली उभरी जो मुख्य रूप से औपनिवेषिक प्रशासन की आवश्यकओं को पूरा करने के लिए थी। यह धारणा कई शैक्षिक विचारकों और शिक्षाविद्ों द्वारा औपनिवेषिक काल के दौरान तथा उसके बाद भी पहचानी गई तथा उसकी कल्पना की गई थी। गांधी की वर्धा योजना, शिक्षा और व्यावसायिक कौशल को एक साथ लाने का प्रयास थी।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1951–52) ने सभी अवस्थाओं में तकनीकी कौशल तथा कार्य कुशलता के समावेश और उन्नयन की सलाह की। इसी तरह, कोठारी आयोग (1964–66) ने भी शिक्षा को कार्य से सम्बन्धित करने का सुझाव दिया और अनुशंसा की कि व्यावसायिक शिक्षा दोनों स्तरों पर होनी चाहिए अर्थात् निम्न और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने व्यावसायिक कौशल विकास पर अधिक एकाग्रता के साथ विद्यालयी शिक्षा का फिर से पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव रखा। इस संदर्भ में, यह इकाई भारत में

माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ तथा महत्व, विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले विभिन्न संस्थाओं की संरचना, केन्द्र और राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं और विद्यालयी बच्चों के बीच व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने में समाज और उद्योग की भूमिका भी समझाने का एक प्रयास है।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई के समाप्त होने के बाद, आप :

- विद्यालय शिक्षा के व्यावसायीकरण का अर्थ समझा सकेंगे;
- कौशल विकास के लिए शैक्षिक संस्थानों की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे;
- व्यावसायिक शिक्षा के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं का विश्लेषण कर सकेंगे;
- कौशल विकास के लिए सामाजिक योगदान को पहचान सकेंगे; तथा
- व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की सुविधा के लिए उद्योगों की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे।

8.3 व्यावसायिक शिक्षा

पहले के समय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कौशलों का हस्तांतरण प्रतिदिन की गतिविधियों के द्वारा ही हो जाता था। जब यह हस्तांतरण अधिक संरचित तथा व्यवस्थित हुआ तब परंपराएँ विकसित हुईं। यह एक विशेषज्ञ द्वारा शिक्षार्थी को दिया गया जो एक विशिष्ट कौशल सिखाता था और यह कौशल उसके व्यवसाय तक जारी रहता था। यह सीखा हुआ कौशल बाद में अगली पीढ़ी को सिखाया जाता था। आप सहमत होंगे कि इससे न यह कौशल जीवित रहता था बल्कि यह व्यक्ति को पैसा कमाने, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी करता था। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कौशलों का हस्तांतरण व्यावसायिक शिक्षा के सिद्धान्त को रेखांकित करता है।

सरल शब्दों में, हम इसे इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं: **"व्यावसायिक शिक्षा औपचारिक या गैर–औपचारिक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षार्थियों में शिक्षा और कौशल के बारे में बात करती है।"** इसे ज्ञान, कौशल और दक्षताओं को प्रसारित करने के संगठित और असंगठित दोनों विधियों के रूप में समझाया जा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा को शैक्षिक प्रशिक्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें ज्ञान, कौशल, संरचनात्मक गतिविधियों, योग्यताओं, क्षमताओं और अन्यी किसी संरचनात्मक अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है जिसे औपचारिक माध्यम से प्राप्त किया जाता है। नौकरी या नौकरी के बाद का प्रशिक्षण जो प्राप्तकर्त्ता को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी को सुरक्षित करने का अवसर बढ़ाती है अथवा व्यक्ति को स्वरोजगार करने में समर्थ बनाती है, (वेंकटैया, 2000)।

एक अधिक उपयोगितावादी दृष्टिकोण से, व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण का अर्थ किसी विशेष रोजगार के लिए किसी भी व्यक्ति को शिक्षित या प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले समकालिक और नियंत्रित शिक्षण अनुभव की एक व्यवस्था है। व्यावसायिक शिक्षा कर्मचारियों के लिए शिक्षा या प्रशिक्षण है जो मनुष्य के जीवन में एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। यह व्यक्ति के भाग्य और बाद में मानव जाति के भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यक्तियों को प्रेरित करता है तथा उनके भविष्य की नींव स्थापित करता है।

8.3.1 व्यावसायिक शिक्षा की संकल्पना*

यूनेस्को–यूनेवोक (UNESCO-UNEVOC) ने तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को कार्य के संसार के लिए ज्ञान तथा कुशलता प्राप्त करने के रूप में परिभाषित किया है। व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित परिभाषित शब्दावली विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार परिवर्तित होती जाती है। व्यापक रूप से विभिन्न शब्दावली जो प्रयुक्त होती हैं वे हैं: व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण, वृत्तिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक (Occupational) शिक्षा, जनबल शिक्षा, जीवनवृत्ति तथा तकनीकी शिक्षा तथा कार्यस्थल शिक्षा। फिर भी मुख्य आधारभूत उद्देश्य समान रहते हैं। शैक्षिक तथा प्रशिक्षण का जो प्रबंध स्थापित किया जाता है, उनका लक्ष्य लोगों की दक्षता को प्रोत्साहित तथा बढ़ावा देना होता है ताकि उन्हें समाज के उत्पादक सदस्य के रूप में कार्यशील बनाया जा सके।

भारत में, सामान्यतया हम दो शब्दावलियों "शिक्षा का व्यावसायीकरण" तथा "व्यावसायिक शिक्षा" को अधिकतर समानार्थक शब्दावली के रूप में प्रयुक्त करते हैं, हालाँकि दोनों अवधारणाओं में संकल्पनात्मक अंतर होता है – पहली शब्दावली विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित है जो विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक है।

व्यावसायिक शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा के +2 स्तर पर अन्य वर्गों जैसे – कला, विज्ञान तथा वाणित्य के समान एक अलग वर्ग के रूप में प्रयुक्त की जाती है। दो वर्षों की व्यावसायिक शिक्षा कुछ चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही प्रदान की जाती है। शिक्षा के राज्य स्तरीय बोर्ड/व्यावसायिक शिक्षा के बोर्ड नियंत्रित तथा जाँचकर्त्ता संस्था होती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र दिया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा में कुशलता का विकास करना मुख्य बिन्दु होता है कि यह विद्यार्थियों में रोजगार योग्य कुशलता का विकास करने के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा स्वयं के लिए नौकरी के लिए उपयुक्त अथवा वेतन आधारित रोजगार शिक्षा है। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1968 एवं 1980) को लागू करने के सम्बन्ध में सन् 1988 में शिक्षा के व्यावसायीकरण पर केन्द्र द्वारा आर्थिक रूप से संरक्षित योजना (CSS) पूरे देश में प्रारंभ की गई। भारत सरकार द्वारा भारी मात्रा में पूँजी उपलब्ध कराई गई।

व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- राष्ट्रीय विकास
- मानव संसाधन और विकास
- कुशल मानवशक्ति के वर्तमान अंतराल को भरना
- युवाओं की रोजगार योग्यता को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के अवसरों को उपलब्ध कराना
- ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की माँगों को पूरा करना
- हाशिए पर खड़े वर्गों, अल्पसंख्यक समूहों, अनुसूचित जाति/जनजाति, लड़कियों तथा महिलाओं तथा विशेष आवश्यकता वाले लोगों को सशक्त बनाना तथा संपोषणीय जीवन जीने की कला का विकास करना।
- निर्धनता को दूर करने के लिए एक उपकरण के रूप में

*भाग 8.3.1 को शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा : इसके परिप्रेक्ष्य पाठ्यक्रम की इकाई 11 से लिया गया है।

- ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए एक उपकरण के रूप में
- कलाकारों, शिल्पकारों तथा पारंपरिक कारीगरों की कुशलताओं में सुधार लाना
- शिक्षित बेरोजगार तथा अल्प बेरोजगार युवाओं के लिए बहुक्षमता विकास की आवश्यक

8.3.2 विद्यालयी शिक्षा का व्यावसायीकरण

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए विभिन्न कदम उठाए जा चुके हैं जिसकी सूची निम्न प्रकार बना सकते हैं:

स्वतंत्रता के पूर्व

आधुनिक भारतीय शिक्षा का व्यावसायीकरण ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुआ क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि उनकी आवश्यकताओं को मात्र अनुवाद अथवा लिपिक नौकरी के लिए शिक्षा देने से पूरा नहीं किया जा सकता। उन्हें कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता थी। इस तरह के विकास के संकेत ब्रिटिश काल के शैक्षिक दस्तावेजों, जैसे– वुड के डिस्पैच (1854) में देखा जा सकता है। **वुड के डिस्पैच (1854)** ने इस आवश्यकता को पहचाना कि लोगों को इस प्रकार की शिक्षा देना है जो "भारत के लोगों को उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से उपयोगी हो।"

बाद में होरटोग (Hortog) समिति (1929) ने मध्यस्तर के अंत तक अधिक विद्यार्थियों को औद्योगिक अथवा वाणिज्य जीवन वृत्ति की ओर मोड़ दिया, जहाँ एबॉट की रिपोर्ट (1937) ने माध्यमिक विद्यालयों में एक प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने का सुझाव दिया। सार्जेन्ट योजना (1944) में भी इसी प्रकार की शिक्षा पर बल दिया गया।

वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना (1937) ने गांधी की बुनियादी शिक्षा के दर्शन को स्वीकार किया (घोष, 2000) और कहा गया है कि "शिक्षा की प्रक्रिया का केन्द्र बालक के पर्यावरण का ध्यान रखते हुए मानव निर्मित उत्पादक कार्य होना चाहिए"।

बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना का अनुपालन करते हुए **जाकिर हुसैन समिति (1938)** ने शिक्षा के गाँधीवादी दर्शन की समीक्षा की तथा तीन अतिरिक्त रूप से जुड़े हुए अंतरसम्बन्धित पक्षों का चयन किया: भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण तथा पाठ्यक्रम के लिए शिल्पकार्य।

स्वतंत्रता के बाद

1951–52 में **माध्यमिक शिक्षा आयोग** ने सभी स्तरों पर तकनीकी कौशल और दक्षता को बढ़ावा देने की आवश्यकता अनुभव की (अग्रवाल, 1993)। मार्च 1952 में केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड में कहा गया है: "एक शिक्षा की प्रणाली को वास्तविक अर्थों में बुनियादी शिक्षा नहीं समझा जा सकता जब तक कि (क) वह जूनियर तथा सीनियर अवस्थाओं को सम्मिलित करते हुए एक एकीकृत पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं कराता और (ख) शैक्षिक तथा उत्पादक पक्षों दोनों में शिल्पकार्य को स्थान देने पर पर्याप्त बल नहीं देता।

शिक्षा आयोग (1964–66) की रिपोर्ट ने राष्ट्रीय विकास को शिक्षा की मुख्य चिंता बना दिया। आयोग ने शिक्षा के पुनर्गठन को एक समान पैटर्न में परिवर्तित करने का सुझाव दिया, जिसे पूरे देश में 10+2 + 3 पैटर्न कहा जाता है, जिसमें सभी के लिए दस साल की अविभाजित शिक्षा को सम्मिलित किया गया है, साथ ही + 2 स्तर पर शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं में विविधता के साथ। इसने सामान्य शिक्षा में व्यावसायिक अनुभव

कार्यक्रम (WEP) के लिए और माध्यमिक स्तर पर व्यावसायीकरण (VEP) के लिए शैक्षिक पुनर्निर्माण की योजनाओं को प्राथमिकता दी।

बाद में **शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986)** ने भी व्यावसायिक शिक्षा को प्रमुख महत्व दिया। इसमें कहा गया है कि "प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में एक व्यवस्थित, सुनियोजित तथा कड़ाई से लागू किए जाने वाले व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम का परिचय अत्यंत आवश्यक है। व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि कई क्षेत्रों में पहचाने गए व्यवसाय के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए एक अलग स्ट्रीम होगी।"

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना (2005) ने प्रस्तावित किया है कि:

- प्राथमिक चरण में सभी विषयों में कार्य को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- विद्यालय के बाहर काम के अवसरों को प्रस्तुत करने वाली संस्थाओं और वातावरण को औपचारिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए।
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिजाइन कार्य–केन्द्रित शिक्षा के 10–12 वर्षों के परिप्रेक्ष्य पर आधारित है जिसमें ये विशेषताएँ हैं:
  - अलग–अलग अवधि के लचीले और मॉड्यूलर पाठ्यक्रम।
  - एकाधिक प्रवेश और निकास बिन्दु
  - गाँव, ब्लाक, कलस्टर स्तर और ज़िला स्तरों से पहुँच।
- विद्यालय की प्रणाली के बाहर स्थित संस्थाओं के लिए विकेन्द्रीकृत मान्यता और तुल्यता तंत्र।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को घटाने की दृष्टि से वर्तमान विद्यालयी तथा उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने का प्रस्ताव दिया। इस नीति ने व्यावसायिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कुशलता के अंतराल को कम करना मानकर इस अन्तराल को कम करने का प्रयास किया तथा अपने लक्ष्य को औपचारिक से अनौपचारिक क्षेत्र तक विस्तार करने का प्रस्ताव किया। नीति के कार्यान्वयन के साथ प्रत्येक बाल कम से कम एक व्यवसाय सीखेगा और कई अन्य व्यवसायों के बारे में भी जानेगा। सन् 2025 तक शिक्षार्थियों का 50 प्रतिशत व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के बारे में जान सकेगा। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के एकीकरण द्वारा विद्यार्थियों के लिए "लोक विद्या" को सुलभ बनाया जाएगा। इस नीति द्वारा आने वाले समय में व्यावसायिक और व्यावसायिक शिक्षा को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा माध्यम मोड से भी प्रदान करना प्रस्तावित है।

भारत के कई आयोगों द्वारा यह भी परिकल्पना की गई थी कि देश में संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के लिए विविध व्यावसायिक उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए युवा लोगों को तैयार करने की आवश्यकता है और यह शिक्षा को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ एकीकृत करके किया जा सकता है। विद्यालयी शिक्षा का व्यावसायीकरण का प्रारंभ तब यही से हुआ है। यह माना गया था कि शिक्षा में कुछ विशिष्ट विषयों में, जो व्यावसायिक या तकनीकी विषय हो सकता है, आम तौर पर शिक्षा के माध्यमिक चरण तक ही सीमित होता है। इस प्रक्रिया को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ शिक्षा के एकीकरण को चार अंतर्संबंध चरणों के साथ विकसित किया जा सकता है:

क) **शैक्षविक शिक्षा** – जिनमें विषय के मौलिक सिद्धान्तों के बुनियादी ज्ञान की व्याख्या होती है।

ख) **पूर्व–व्यवसाय शिक्षा एवं प्रशिक्षण** – उपकरण तथा तकनीक का और उपकरण के विशिष्ट भाग को चलाना तथा सुरक्षित काम करने के तरीकों का वर्णन करता है,

ग) **संयत्र में अथवा नौकरी के दौरान प्रशिक्षण** – व्यावसायिक कार्य से सम्बन्धित वास्तविक कार्य करने की विधियों तथा तकनीकों को प्रशिक्षणर्थी को बताने का लक्ष्य,

घ) **सेवाकालीन प्रशिक्षण** – कुशल श्रमिकों की ज्ञान, कुशलता तथा दक्षताओं की ओर निर्देशत करता है (राव, 2003)।

ऊपर बताई गई अन्तरसम्बन्धित अवस्थाओं के एकीकृत तथा समाप्ति के बाद यह आशा की जाती है कि शिक्षा का व्यावसायीकरण संभव होगा। शिक्षा का व्यावसायीकरण किसी व्यक्ति को कार्य या विशिष्ट व्यापार को कुशलतापूर्वक और कुशलता से करने में सक्षम बनाता है। जब यह कुशलता किसी संस्था से सीखी तथा प्रमाणित की जाती है, यह स्थापित करती है कि शिक्षार्थी की योग्यता किसी भी कार्य को पूर्ण करने की तथा निष्पादन करने के लिए अधिक उपयुक्त है। जब शिक्षार्थी विभिन्न स्थानों में विभिन्न कौशलों को असंगठित तरीके से सीखता है तो उन्हें ग्रेड देना तथा उनकी संभावित क्षमता का उपयोग करना कठिन हो जाता है। जब इस तरह के असंगठित, कुशल व्यक्ति को एक जगह पर केन्द्रीकृत किया जाता है, तो वे एक संसाधन बन जाते हैं, जो देश के लिए योदान देता है।

यह समझा जा सकता है कि व्यावसायिक ट्रेड का चयन शिक्षार्थी की खर्च, योग्यता तथा अभिक्षमता के अनुरूप एक शिक्षार्थी से दूसरे शिक्षार्थी में भिन्न हो सकता है। चलो अपनी कुछ रूचियाँ लिखते हैं जो माध्यमिक शिक्षा के बाद आपका व्यवसाय बन सकती हैं तथा स्नातक तक संभव हो कि आपका व्यवसाय बन जाए।

माध्यमिक शिक्षा के बाद	स्नातक के बाद

जब यह जीवन के विभिन्न खंडों को सम्मिलित करता है तो व्यावसायीकरण सफल होता है। ऊपर दी गई तालिका में हो सकता है आपने अपनी अलग–अलग आवश्यकओं की कल्पना की हो, प्रातः काल से देर रात तक जब आप अपने बिस्तर पर जाते हों, हर समय आपको अलग व्यवसाय की कुशलता के साथ आवश्यकता होती है जो महत्वपूर्ण योगदान देती है। आपने माध्यमिक शिक्षा के बाद इसे चुना होगा जबकि उसी विकल्प को आप स्नातक के पश्चात् भी चुन सकते हैं।

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986) के अनुसार शिक्षा के व्यावसायीकरण के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- काम और जीवन के प्रति छात्रों के बीच एक स्वस्थ अभिवृत्ति विकसित करना।
- व्यक्तिगत नियोजनीयता को बढ़ाना।
- कुशल मानव शक्ति की माँग और आपूर्ति के बीच असंतुलन को कम करना।

- विशेष रुचि या उद्देश्य के बिना उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वालों के लिए एक विकल्प प्रदान करना।
- पहचाने गए विस्तारित व्यावसायिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए छात्रों को तैयार करना।
- उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल के विकास पर बल देना।
- महिलाओं, ग्रामीण और आदिवासी तथा समाज के वंचित वर्गों के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना।
- उपयुक्त ब्रिज पाठ्यक्रमों के माध्यम से सामान्य, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विकास, कैरियर में सुधार और पार्श्व प्रविष्टि के अवसर प्रदान करना।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) विद्यालयी शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए शिक्षा आयोग (1964–1966) की क्या प्रमुख संस्तुतियाँ हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

8.4 व्यावसायिक शैक्षिक संसाधन*

शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय) के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के लिए नीतियों का प्रारूप तैयार करता है। भारत में वोकेशनल एजुकेशन एवं ट्रेनिंग (वी.ई.टी.) के नीति निर्माण और इसके कार्यान्वयन की योजना बनाने वाली मुख्य एजेंसियाँ सरकारी एजेंसियाँ हैं। इसमें निम्नलिखित निकाय सम्मिलित हैं:

केन्द्र सरकार की एजेंसियों में शिक्षा मंत्रालय, विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग (वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में वी.ई.टी. कार्यक्रम चलाने के लिए उत्तरदायी), श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (व्यावसायिक के लिए) राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, सम्मिलित हैं।

राज्य सरकार तथा अन्य एजेंसियों में तकनीकी निदेशालय शिक्षा, निजी क्षेत्र, तकनीकी शिक्षा के लिए परिषदों, गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) सम्मिलित हैं।

शिक्षा के विभिन्न चरणों में व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न घटक हैं, उदाहरणार्थ कार्य अनुभव (Work Experience) तथा पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत उद्देश्य आधारित कार्य। इन कार्यों

*खण्ड 8.4 को इग्नू के पाठ्यक्रम शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा : इसके परिप्रेक्ष्य की इकाई 10 से लिया गया है।

के परिणामस्वरूप उत्पाद प्राप्त होते हैं जो कार्य आधारित तथा समुदाय के लिए उपयोगी होते हैं। कार्य अनुभव श्रम, सहयोग और आत्मनिर्भरता की गरिमा विकसित करता है। कार्य अनुभव और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए, पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE) के रूप में सन् 1993 में भोपाल के श्यामला हिल्स में स्थापित किया गया था। यह व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय निकायों में से एक है।

पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान और नीति विकास के लिए सुझाव देता है। शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारों को उनके शैक्षिक तथा तकनीकी परियोजनाओं में सुझाव तथा सहायता देता है।

इस संस्थान ने कक्षा IX से XII के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित किए हैं। इन पाठ्यक्रमों में कृषि, सुरक्षा, खुदरा, ऑटोमोबाइल, मीडिया और मनोरंजन, यात्रा और पर्यटन इत्यादि जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु यह संस्थान राज्य स्तर के अधिकारियों तथा विद्यालयी शिक्षा के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने में लगे हुए विद्यालयी प्रधानाध्यापकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है।

निम्न माध्यमिक स्तर पर कार्य अनुभव का प्रशिक्षण पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक नीव बनाता है तथा प्रशिक्षण स्तर पर शिक्षार्थी को व्यावसायिक ट्रेड चुनने को सुगम बनाता है। अपनी व्यावसायिक रुचि के लिए आत्म–अन्वेषण करने में सहायता करता है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के रूप में प्राप्त होता है। यह शिक्षा एक विशेष व्यवसाय के लिए अपेक्षित दक्षताओं (ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्ति) का विकास करती है। वर्तमान में औपचारिक तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रणाली की स्थिति निम्नानुसार है :

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (Industrial Training Institutes - ITIs) भारत में व्यावसायिक कौशल विकास के लिए सबसे सामान्य और बुनियादी कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ये संस्थान रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (Directorate General of Employment and Training - DGET), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, केन्द्र सरकार के अंतर्गत गठित किए जाते हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के बाद छात्र प्रशिक्षु विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण के लिए विकल्प चुन सकते हैं। सन् 2017 के आँकड़ों के अनुसार, भारत में 14312 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें से 2204 सरकारी तथा 12108 निजी हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में यह संस्तुति की गई थी कि विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा तथा पॉलिटेक्निक शिक्षा कार्यशैली में सुधार तथा अंतर्संबंध के लिए राज्य सरकार के एक विभाग के अंतर्गत आ सकता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सरलता से पहुँचा जा सकता है यहाँ तक कि जब वे देश के सभी भागों में फैले हुए हैं तथा ज़िला स्तर पर परिचालित होती हैं। प्रवेश मानदंड भी बहुत सरल हैं और फीस भी वहन योग्य है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण छात्र भी कई सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

पॉलिटेक्निक (Polytechnics) जनशक्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से संस्थान हैं। सन् 2017 तक 2328 पॉलिटेक्निक थे जो 16 लाख शिक्षार्थियों को

व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे थे। पॉलिटेक्निक कॉलेज पारिभाषिक रूप से वे संस्थान होते हैं जो उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। उन विषयों में जिनकी प्रकृति मुख्य रूप से तकनीकी होती है। पारंपरिक पाठ्यक्रमों की तुलना में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज शिक्षा, कार्यात्मक पहलू पर अधिक ध्यान देता है, शिक्षा के सैद्धान्तिक पहलू की तुलना में। एक बड़ी संख्या में पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और व्यावसायिक और तकनीकी विषयों में पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।

नीचे उल्लिखित कुछ पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं:

- 10 + 2 के बाद मैकेनिकल (प्रोडक्शन) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
- 10 + 2 के बाद सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
- 10 + 2 के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
- 10 + 2 के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
- 10 + 2 के बाद कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
- 10 + 2 के बाद मैकेनिकल (ऑटोमोबाइल) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

भारत का कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (SDVTII), भारत में मुम्वई शिक्षार्थियों को व्यावसायिक कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। कौशल विकास और भारत के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान कम्प्यूटर अनुप्रयोग प्रशिक्षण, हार्डवेयर प्रशिक्षण पर पाठ्यक्रम, गैर–आई टी कार्यक्रम जैसे उद्यमिता, कराधान, स्टॉक मार्केट विशेषज्ञता कार्यक्रम जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, टेलरिंग ट्रेड, ब्यूटीषियन ट्रेड आदि पाठ्यक्रम चलाता है। कौशल विकास और भारत के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान ने नौ राज्यों – महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के बिजनेस ट्रेनिंग बोर्ड के साथ सहयोग किया। कौशल विकास और भारत के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए छात्रों को प्रमाणपत्र प्रदान करता है। यह प्रमाणपत्र छात्रों को उनके जीवन में रोजगार और उद्यमिता के लिए अच्छे अवसर प्रदान करने में सहायता करता है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

2) व्यावसायिक शिक्षा के दो संस्थानों के नाम लिखें।

.....

.....

.....

8.5 व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की भारत में वर्तमान स्थिति*

भारत में विभिन्न संस्थानों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम – औपचारिक और अनौपचारिक रूपसे प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में, व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत

*खण्ड 8.5 को इग्नू के पाठ्यक्रम शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा : इसके परिप्रेक्ष्य की इकाई 11 से लिया गया है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम विद्यालयों में +2 स्तर पर प्रदान किए जाते हैं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा पॉलिटेक्निक तीन वर्षों के तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। तालिका 8.1 भारत में प्रदान किए जाने वाले व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रमों का विवरण देती है :

तालिका 8.1 : भारत में प्रदान की जाने वाली तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएँ

कार्यक्रम का नाम तथा प्रकार		प्रवेश योग्यता	पाठ्यक्रम की संख्या	नामांकन क्षमता	पाठ्यक्रम की अवधि	संस्थानों की संख्या
क)	औपचारिक कार्यक्रम					
i)	व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम (व्यावसायिक विद्यालय)	10+	160	9.72 लाख	2 वर्ष	6800
ii)	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	8+ तथा 10+	67*	6.72 लाख	1 से 2 वर्ष	4591
iii)	तकनीकी शैक्षिक कार्यक्रम (पॉलिटेक्निक)	10+	40	1.88 लाख	3 वर्ष	1224
iv)	यू.जी.सी. कार्यक्रम (पूर्व स्नातक स्तर)	12+	42	NA	3 वर्ष	1850
ख)	अनौपचारिक कार्यक्रम					
v)	जन शिक्षण संस्थान	योग्यता की कोई सीमा नहीं	NA	NA	छोटी अवधि के लिए	108
vi)	सामुदायिक पॉलिटेक्निक योजना	योग्यता की कोई सीमा नहीं	NA	4.5 लाख प्रति वर्ष	9 महीने से 3 वर्ष	675

स्रोतः राष्ट्रीय के ड्राफ्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयन योजना से संकलित टीवीईटी, अप्रकाशित दस्तावेज, एमएचआरडी, जीओआई, 2003 (वैद, 2007) पर कार्यक्रम।

8.5.1 औपचारिक व्यवस्था में +2 स्तर पर व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम

विद्यालयों में +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा शिक्षा की एक अनोखी व्यवस्था है जो मूल्यों का विकास करने के अतिरिक्त मृदु तथा कठोर कुशलताओं का भी विकास करती है। व्यावसायिक शिक्षा की प्रकृति तथा स्वरूप, पाठ्यक्रम विकास तथा कार्य विवरण के कारण यह अन्य वर्गों से अलग होती है। हम व्यावसायिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण स्पष्ट पक्षों को देखेंगे। इसमें सम्मिलित हैं:

क) **व्यावसायिक सर्वेक्षण :** पहले से ही चल रहे पाठ्यक्रमों की आगतों को समझने में, मानव संसाधनों की आवश्यकता का आकलन करना आवश्यक है। यह व्यावसायिक सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है जो निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किया जाता है:

- वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव शक्ति के विकास के लिए आवश्यक कुशलताओं को पहचानना,
- मानव शक्ति के विकास का स्तर जैसे निम्न, मध्यम तथा उच्च स्तर का अनुमान लगाना,

- लक्षित समूहों को पहचानना जिन्हें व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है,
- स्थानीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन करना, तथा
- प्रचलित व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में अंतराल को पहचानना।

व्यावसायिक सर्वेक्षण में स्थानीय ज़िलों, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार कार्यालय, ज़िला विकास योजनाएँ तथा मानव शक्ति प्रक्षेपण से प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़ों को एकत्र करना सम्मिलित है। व्यावसायिक सर्वेक्षण करने की मुख्य बातें पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान में व्यापक रूप से प्रकाषित की गई हैं। एक व्यावसायिक सर्वेक्षण द्वारा रोजगार संभावना, उदीयमान व्यवसाय, मानव संसाधन आवश्यकता तथा स्वरोजगार संभावनाओं के बारे में बताया जाना चाहिए।

ख) **व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन** – व्यावसायिक सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त किए गए निष्कर्षों से व्यावसायिक क्षेत्रों तथा पाठ्यक्रमों को पहचाना जाता है। पाठ्यक्रम को चयन करने का मुख्य उद्देश्य ज़िला, राज्य तथा राष्ट्रीय बाजार के लिए मानव संसाधन की आवश्यकताओं को पूरा करना था। इसका अर्थ है कि चयन किए गए पाठ्यक्रम को बाजार की आवश्यकताओं से जोड़ा गया गया, जिससे संभावित स्नातकों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर होंगे।

ग) **पाठ्यक्रम तथा अधिगम सामग्री का प्रारूप तैयार करना तथा विकास** – एक उत्पाद तथा सेवा उद्योग के लिए 3 कर्मचारी के लिए अपेक्षित कुशलताओं का विकास करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार करना तथा विकास करना। +2 स्तर के पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया है – पहले भाग में भाषा, ग्रामीण विकास, पर्यावरण तथा उद्यमिता विकास सम्मिलित हैं जिसे 30 प्रतिशत भार दिया गया है तथा दूसरे भाग को 70 प्रतिशत सिद्धान्तों तथा अभ्यास कार्य तथा कार्य करते हुए प्रशिक्षण (On-the-Job Training - OJT) सम्मिलित हैं।

घ) **प्रबंधन संरचना** – विद्यालयों में +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने के लिए संस्थान, ज़िला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के कई अभिकरण प्रबंधन संरचना का स्वरूप निर्धारित करने में लगे हुए हैं।

ङ) **परीक्षा की योजना** – प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा की योजना अंकों का वितरण, वितरित भार और समय (घंटों में) का विवरण विस्तारित रूप से पाठ्यक्रम दस्तावेज में दिया गया है।

च) **विद्यालय उद्योग लिंक (School-Industry Linkage - SIL) तथा कार्य करते हुए प्रशिक्षण (On-the Job Training - OJT)**– व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी रूप से तभी लागू किया जा सकता है जब इसके लिए आवश्यक उपकरण, कार्यशाला, प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हों। कभी कभी वित्त के अभाव में सभी संस्थानों के लिए इन सुविधाओं को उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक संस्थान समीप के उद्योगों के साथ सहयोग करें, और उनकी सुविधाओं का उपयोग विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण में करें। यह विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य वातावरण में काम करने का अवसर देगा।

व्यावसायिक शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विद्यालय उद्योग का लिंक (School Industry Linkage - SIL) महत्वपूर्ण है। यह

उद्योगों में विशेषज्ञ उपलब्ध कराते हैं – एक प्रशिक्षक के यप में, पाठ्यक्रम विकासकर्त्ता के रूप में। उदाहरणार्थ, कृषि आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एक कृषि फार्म/डेयरी फार्मध्मत्स्य पालन फार्म, आदि फसल उत्पादन, डेयरी अथवा मत्स्य संस्कृति के लिए उद्योगों के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कोई भी व्यापारिक अधिष्ठान, कार्यालय, अभिकरण के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऑन दि जॉब ट्रेनिंग कुशलताओं का विकास करती है बल्कि वास्तविक कार्य स्थिति से तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में निहित उपकरणों तथा प्रक्रियाओं से भी परिचित कराती है।

छ) **उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (Production-cum-Training Centre - PTC)*** – व्यवसाय में कुशलताओं तथा दक्षताओं का विकास करने के लिए, उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना आर्थिक रूप से व्यवहार्य, स्व–संपोषणीय है तथा यह विद्यालयों में एक अर्द्ध–वाणिज्यिक इकाई के रूप में कार्य करती है। यह शिक्षा तथा कार्य के अंतराल को भरता है तथा शिक्षा और समुदाय के मध्य एकीकरण को प्रोत्साहन देता है। उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के उद्देश्य हैं:

- कार्य के संसार के लिए आवश्यक कुशलताएँ, दक्षताएँ तथा अभिवृत्ति का विकास करना
- उद्यमिता कुशलताओं का विकास
- वस्तुएँ तथा सेवाओं की उपलब्धता के द्वारा संस्थानों के लिए संसाधन उत्पन्न करना
- विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करना
- आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों एवं सेवाओं के द्वारा संस्थान–समुदाय के लिंक को विकसित करना
- शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक उत्तरदायित्वों को बढ़ावा देना
- विद्यार्थियों को लाभदायक स्वरोजगार के लिए तैयार करना

ज) **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण** – प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की व्यवस्था व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को वास्तविक जॉब परिस्थितियों तथा उनकी कुशलताओं में सुधार लाने के लिए की जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को एक वर्ष के प्रशिक्षण के लिए उद्योग से जोड़ दिया जाता हैय उन्हें वृत्ति दी जाती है। प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम हैं।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

3) व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रमों की उद्योगों के साथ संयोजन के महत्व को लिखें।

.....

.....

.....

.....

4) व्यावसायिक सर्वेक्षण की दो उपयोगिताएँ लिखें।

.....

.....

.....

.....

8.5.2 अन्य अभिकरणों तथा अनौपचारिक और दूरस्थ माध्यम से व्यावसायिक शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

समाज की विविध आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण का महत्व होने के कारण व्यावसायिक पाठ्यक्रम अनौपचारिक तथा दूरस्थ माध्यम से भी प्रदान किए जाते हैं। सामुदायिक पॉलिटेक्निक तथा जन शिक्षण संस्थान बड़ी संख्या में विभिन्न लक्षित समूहों की अनौपचारिक माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। मुक्त व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान तथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

व्यावसायिक शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत सरकार के विविध मंत्रालय विभिन्न अभिकरणों जिसमें गैर–सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं, को अनौपचारिक रूप से व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए आर्थिक सहायता देती है। भारत सरकार का मानव संसाधन और विकास मंत्रालय "व्यावसायिक शिक्षा में नवप्रवर्त्तन कार्यक्रम" योजना के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देता है। सामुदायिक पॉलिटेक्निक योजना के अंतर्गत भी मानव संसाधन और विकास मंत्रालय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता देता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम पॉलिटेक्निक में आयोजित किए जाते हैं, तथा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षकों का प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (NCERT) तथा पूरे देश में समन्वित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त व्यावसायिक दक्षताओं को प्रोत्साहित करने के लिए +2 स्तर पर तथा माध्यमिक स्तर पर भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रम और कैरियर उन्मुख शिक्षा मंत्रालय द्वारा इनकी देखरेख किया जाता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समर्थित हैं। अन्य मंत्रालय जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने में सम्मिलित हैं – समाज कल्याण और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और कृषि मंत्रालय।

विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत प्रमुख व्यावसायिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम तालिका 8.3 में दिए गए हैं:

तालिका 8.3: विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत व्यावसायिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम

माध्यम	अभिकरण	मंत्रालय समर्थन
1. नॉन	सामुदायिक पॉलिटेक्निक अभिकरण	मानव संसाधन और विकास मंत्रालय
	कम्युनिटी कॉलेज ऑफ इण्डिया	मानव संसाधन और विकास मंत्रालय
	जन शिक्षण संस्थान (JSS)	मानव संसाधन और विकास मंत्रालय
	कृषि विज्ञान केन्द्र	कृषि मंत्रालय
	खादी ग्राम उद्योग केन्द्र	उद्योग मंत्रालय
	ज़िला औद्योगिक केन्द्र	उद्योग मंत्रालय

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम (VET)

दूरस्थ शिक्षा द्वारा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को एक बड़े लक्षित समूह तक पहुँचाया जा सकता है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (NIOS) तथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) इस क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। अध्ययन केन्द्रों तथा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों (Accredited Vocational Institutions - AVIs) में कौशल विकास पर प्रमुख ध्यान दिया जाता है। लक्षित समूहों में सम्मिलित हैं – विद्यालय को बीच में छोड़े हुए छात्र, अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों को बीच में छोड़ कर गए छात्र, लड़कियाँ, महिलाएँ, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, निर्धनता रेखा से नीचे वाला समूह, अशिक्षित, शिक्षित बेरोजगार तथा वयस्क। इन कार्यक्रमों में नामांकन संख्या विद्यार्थियों की पहुँच के अनुसार बदलती रहती है। तालिका 8.4 इन कार्यक्रमों के बारे में कुछ सूचना प्रदान करती है :

तालिका 8.4: दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण

अभिकरण	पाठ्यक्रमों की संख्या	अध्ययन केन्द्रों / AVI की संख्या	प्रवेष योग्यता
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (NOS) के रूप में सन् 1990 में स्थापित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (NIOS)	85	851	मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थान कक्षा 4 से उच्च माध्यमिक तक
इग्नू सन् 1985 में स्थापित	77	–	उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र

NOS – राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय
NIOS – राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान
IGNOU – इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
AVI – मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थान

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

5) दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लाभों को संक्षेप में लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.6 व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका तथा महत्व*

व्यावसायिक की सकारात्मक तथा प्रभावी भूमिका हाशिए पर खड़े लोगों के उत्थान में तथा निर्धनता को दूर करने में काफी प्रमाणित तथा पहले भी बताई गई है। इस विषयवस्तु को विस्तृत रूप से समझने के लिए हम कुछ अन्य विषयवस्तु जैसे दृष्टि, कार्य, लक्ष्य तथा उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे।

8.6.1 मानव संसाधन और विकास के लिए शिक्षा

व्यावसायिक तथा प्रशिक्षण का प्रमुख कार्य उन विद्यार्थियों को एक विकल्प प्रदान करना है जो किसी एक कारण या अन्य किसी कारण से सामान्य शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते अथवा सामान्य शिक्षा लगातार ले नहीं सकते। इस उद्देश्य के साथ, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986) निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार करती है:

i) विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रोजगार योग्यता को बढ़ाने के लिए विविध शैक्षिक अवसरों को उपलब्ध कराना,

ii) कुशल मानव संसाधनों की माँग और पूर्ति के मध्य असंतुलन को कम करना, तथा

iii) उच्च शिक्षा को जारी रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना।

क) क्षेत्र तथा विस्तार

विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं से बड़ी संख्या में बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, मात्र 10 से 50 प्रतिशत बच्चे माध्यमिक शिक्षा पूरी करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने में समक्ष हो पाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों में उन विद्यार्थियों के लिए विकल्प के रूप में लगती है जो नियमित महाविद्यालयों में प्रवेश करने योग्य नहीं हैं। ऐसे भी बहुत से वयस्क सीखने वाले हैं जिन्हें अपनी कुशलताओं में सुधार लाने अथवा नई कुशलताएँ सीखने के लिए व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिसे वे अपने जीवन के लिए कमाने में उपयोग कर सके। लड़कियों, महिलाओं तथा हाशिए पर खड़े समूहों जिसमें अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ सम्मिलित हैं, को सशक्त बनाने के लिए बाजार योग्य कुशलताओं का विकास करने की आवश्यकता है। संक्षेप में लक्षित समूह जिसे व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता है, में सम्मिलित हैं:

- 14 से 25 वर्ष के आयु समूह के मध्य युवा जो सामान्य शिक्षा जारी नहीं रख पाते,
- युवा/विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश करने के योग्य नहीं,
- लड़कियाँ, महिलाएँ, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ तथा अल्पसंख्यक,
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी,
- वयस्क अधिगमार्थी, जो अपनी कुशलताओं में सुधार चाहते हैं।

विद्यालय छोड़ने वालों की घटना बहुत से देशों में देखी जाती है विशेष रूप से विकासशील देशों में। उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता का समर्थन किया जाता है। यूनेस्को की आख्या बताती है "युवा लोगों की जॉब के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण एक व्यंजन विधि के रूप में शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित करने की प्रवृत्ति है।"

*खण्ड 8.6 को इग्नू के पाठ्यक्रम शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा : इसके परिप्रेक्ष्य की इकाई 11 से लिया गया है।

यूनेस्को की संस्तुतियाँ, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र के बारे में सुझाव देती हैं:

- सामान्य शिक्षा का एक आंतरिक भाग
- व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए युवा वर्ग को तैयार करने का एक माध्यम तथा कार्य के संसार में प्रभावी प्रतिभागिता के लिए तैयार करने का एक माध्यम
- पर्यावरण के लिए उपयुक्त संपोषणीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपकरण तथा
- निर्धरता दूर करने को सुविधाजनक बनाने का एक मापन।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा द्वारा कई लक्ष्यों की पूर्ति होगी जैसेः

- युवाओं का सर्वांगीण विकास तथा उनकी रोजगार योग्यता को बहुसंख्यक कुशलताओं को सशक्त करके बढ़ाना
- राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में सहायता
- आर्थिक तथा तकनीकी नवप्रवर्त्तन जो हो रहे हैं उनकी सहायता से विर्निर्माण तथा सेवा क्षेत्र की माँगों को पूरा करना
- शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी तथा अल्प–बेरोजगारी के स्तर को कम करना।
- कलाकारों तथा शिल्पकारों जोकि पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए हैं उनकी कुशलताओं में सुधार को सुविधाजनक बनाना।
- व्यावसायिक शिक्षा की सर्वांगीण वृद्धि के लिए देश के प्राकृतिक भौतिक तथा मानव संसाधनों के संपोषणीय तथा उत्पादक उपयोग को प्रोत्साहित करना
- ग्रामीण तथा हाशिए के वर्गों की स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यकर स्थितियों को सुधारने में सहायता करना
- उद्यमिता उत्पन्न करने वाले पारंपरिक रोजगारों को विज्ञान तथा तकनीकी आगतें उपलब्ध करा कर आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना।
- ज्ञान व्यवस्था, ज्ञान समाज तथा ज्ञान कर्मियों का विकास
- रोजगार बाजार का चरित्र बदलने के लिए उपयुक्त कुशलताओं को प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराना।

ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम के क्षेत्र

व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को छः व्यापक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत प्रसिद्ध पाठ्यक्रम नीचे दिए गए हैं :

i) कृषि
   - डेयरी प्रौद्योगिकी
   - फसल उत्पादन
   - बागवानी
   - अंतर्देशीय मत्स्य
   - कुक्कुट उत्पादन

ii) व्यापार तथा वाणिज्य
   - एकाऊंटेन्सी एवं ऑडिटिंग

- बैंकिंग
- एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट अभ्यास और प्रलेखन
- बीमा
- खरीद और बिक्री

iii) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी

- एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन
- इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रखरखाव और मरम्मत
- घरेलू उपयोग
- भवन निर्माण
- ग्रामीण इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी
- सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन

iv) स्वास्थ्य और पैरामेडिकल

- हॉस्पिटल हाउस कीपिंग
- चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन
- नेत्र संबंधी तकनीशियन
- एक्स – रे तकनीशियन
- स्वास्थ्य / स्वच्छता निरीक्षक

v) गृह विज्ञान

- बेकरी और कन्फेक्शनरी
- खानपान और भोजनालय प्रबंधन
- वाणिज्यिक परिधान डिजाइनिंग और बनाना
- खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण
- पूर्व–विद्यालय और बालबाड़ी प्रबंधन

vi) मानविकी, शिक्षा और अन्य

- आंतरिक सज्जा
- पर्यटन और यात्रा प्रबंधन
- वाद्य संगीत – तबला
- वाणिज्यिक कला
- पुस्तकालय और सूचना विज्ञान

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

6) भारत के युवा राष्ट्र होने की उपयोगिताओं को संक्षिप्त में लिखें।

.....

.....

.....

8.6.2 राष्ट्र निर्माण के लिए व्यावसायिक शिक्षा

राष्ट्र विकास का आकलन करने वाले सूचकों में सम्मिलित हैं – पोषण सम्बन्धी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या की शैक्षिक स्थिति तथा अन्य जनसमूह के समृद्धि स्तर, अच्छी गृह सुविधा, संचार तथा अनुयोजकता के संदर्भ में। डॉ. ए.पी.जे. कलाम की पुरा (PURA) संकल्पना विकसित भारत के विजन 2020 के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण दिशा है। आवश्यकता है ऐसे कार्यबल के विकास की जो अपने ज्ञान तथा कुशलता से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस संदर्भ में, व्यावसायिक शिक्षा राष्ट्र विकास की अविलंब आवश्यक है।

जैसा कि गुरू (1999) ने बताया था कि "भारतीय जीवन में मानव संसाधन और विकास करने की अंतर्निहित व्यवस्था है जिसके द्वारा हमारे किसान, शिल्पकार, बर्तन बनाने वाले, जुलाहे आयुर्वेदिक, चिकित्सा प्रैक्टिषिनर्स तथा अन्य अपने शिल्पों को सीखते हैं जिसमें विज्ञान तथा तकनीकी तथा कुशलताओं को सम्मिलित किया जाता है। प्रशिक्षण का माध्यम प्रशिक्षुता के रूप के समान होता है जिसमें बच्चा बड़ों के समर्थन तथा निर्देशन में सीखता है। जबकि परिवार आधारित अधिगम महत्वपूर्ण है, तब भी गाँव के कलाकारों तथा किसानों को अपनी कुशलता तथा ज्ञान में सुधार की आवश्यक है ताकि उत्पादकता तथा गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।

यह अनिवार्य है कि सर्वांगीण राष्ट्र निर्माण के लिए संपोषणीय आधार तथा विभिन्न क्षेत्रों के जैसे कृषि, बायो प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा की आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में नीति तथा प्रबंधन संरचना के शीर्षस्थ मानव संसाधन का निर्माण के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं में संयोजन का विकास किया जाए।

भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी कृषि पर आधारित है क्योंकि आज भी 60 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान उसमें लगे कार्यबल से भी कम है। कृषि कार्य में लगे हुए लोगों में से बड़ी संख्या में लोगों ने कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है। तो हम कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा फार्म कर्मचारियों की दक्षताओं में सुधार के लिए बहुत ही सीमित प्रयास किए गए हैं। अतः कृषि की उत्पादकता में सुधार करने के लिए, कृषि आधारित उद्योगों तथा कृषि उत्पादों के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यक है। इस क्षेत्र के लिए व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

8.6.3 ज्ञान अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में व्यावसायिक शिक्षा

इक्कीसवीं सदी ज्ञान युग से सम्बन्धित होगी, जहाँ ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान पर स्वामित्व तथा ज्ञान का उपयोग करना ही महत्वपूर्ण संसाधन होगा। अतः विकासशील देशों जैसे भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि भारत ज्ञान समाज के रूप में पूर्ण विकसित हो तथा उन मार्गों तथा माध्यमों का परीक्षण करें जिसके माध्यम से भारत ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में स्वयं को रूपांतरित कर सके।

ए.पी.जे. कलाम तथा पिल्लई

डॉ. कलाम के दृष्टिकोण से ज्ञान समाज के विकास द्वारा ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास को समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि यह सोचा जाए कि ज्ञान जो एक प्राथमिक उत्पादन संसाधन है, को धन में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है। ज्ञान समाज की यह मूलभूत विशेषता है कि सशक्त समाज का विकास करने के लिए इसमें स्वस्थ, संपन्न तथा

शांतिपूर्वक जीने की संभावनाओं को खोजना तथा उसमें उत्तम होना सम्मिलित है। ज्ञान समाज की विशेषताएँ ए.पी.जे. कलाम तथा पिल्लई द्वारा उनकी पुस्तक ''एनविजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन'' में पहचानी गई हैं। जिसमें सम्मिलित हैं:

i) ज्ञान का इसके संघटकों तथा प्रयत्नों द्वारा लोगों को सशक्त तथा संपन्न बनाने में उपयोग

ii) सामाजिक रूपांतरण के लिए एक सशक्त उपकरण के रूप में ज्ञान का उपयोग

iii) समाज की योग्यताओं को उत्पन्न करना, ग्रहण करना, प्रसारित करना, तथा

iv) ज्ञान का संरक्षण करना तथा आर्थिक संपन्नता तथा सभी संघटकों के लिए सामाजिक वस्तु उत्पन्न करने के लिए भी इसका प्रयोग करना।

ज्ञान समाज, ज्ञान अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायता करेगा जो संपन्नता को उत्पन्न करने में योगदान देगा। भारत में युवा मानव संसाधन अधिक है जो विशेषकर तकनीक में नवप्रवर्तन के योग्य हैं। इन संसाधनों का ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास में प्रयोग करने के लिए, एक सघन तथा गुणवत्तायुक्त व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की अविलंब आवश्यक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अच्छा शासन का एकीकृत विकास लाभदायक परिणाम लाएगा, जैसे – रोजगार अवसरों का बढ़ना, राष्ट्रीय उत्पादकता तथा औद्योगिक वृद्धि को बढ़ाना, समाज के कमज़ोर वर्गों का सशक्तीकरण, जिसमें महिलाएँ तथा अल्पसंख्यक समूह सम्मिलित हैं तथा इन्हें ज्ञान समाज के संघटक सदस्यों के रूप में रूपांतरित करेगा।

8.6.4 समाज के हाशिए के वर्गों के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (Millennium Development Goals - MDGs) के लक्ष्य "सभी के लिए शिक्षा" ;Education For All - EFA) की ओर बढ़ते हुए "सभी के लिए व्यावसायिक शिक्षा" (Vocational Education for All) के लक्ष्य को नीति तथा नियोजन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण तथा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण ने व्यावसायिक शिक्षा की माँग को बढ़ाया क्योंकि यह जागरूकता बढ़ी कि जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यावसायिक शिक्षा का अनौपचारिक माध्यम एक समावेशी शिक्षा के अधिगम केन्द्र के रूप में विशेष रूप से हाशिए के वर्गों को लाभ पहुँचाता है। व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण जो उनकी कुशलताओं को बढ़ाता है वह जीवनपर्यन्त शिक्षा व्यवस्था के विकल्प के रूप में लोचनीय तथा समय सीमा से परे होना चाहिए।

गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने वाले छात्र के अन्दर इन समूहों को सम्मिलित करने हेतु एक लोचशील वितरण व्यवस्था आवश्यक है। अतः बहु–प्रवेश तथा बहु–निकास व्यवस्था वाली व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने की अत्यंत आवश्यकता है। इन समूहों के लिए कम अवधि के माड्यूलर पाठ्यक्रम जो विभिन्न समयावधि में हो, उचित होंगे। ये पाठ्यक्रम उन्हें इस तरह प्रदान किए जाएँ कि उनकी जीवनचर्या प्रभावित न हो और वे अपनी आजीविका भी कमा सकें।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए समता और पहुँच के साथ पूरे देश में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को नियोजित, डिजाइन तथा लागू करने की आवश्यकता है। सरकार से आर्थिक सहायता लेकर ब्लाक स्तर पर जनशिक्षण संस्थान तथा नए व्यावसायिक संस्थान वर्तमान

विद्यालयों में अतिरिक्त समय में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था कर सकते हैं। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में भी लाभकारी होगी। सामाजिक संसक्तता का निर्माण करने में "व्यावसायिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण एक आशाजनक उत्तर होगा जो सभी के लिए ज्ञान, दक्षता तथा आर्थिक संभावनाओं द्वारा परिभाषित एक सामाजिक क्रम का निर्माण करेगा जो अगर जारी रह गया तो सामाजिक संसक्तता का निर्माण करेगा (अग्रवाल, 1999)।

8.6.5 विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार 2.19 करोड़ लोग जो पूरी जनसंख्या का 2.3 प्रतिशत होंगे वे किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता से प्रभावित हैं। सामान्यतया लोगों में पाँच प्रकार की दिव्यांगता होती है – दृष्टि, श्रवण, वाक्, गति अथवा मानसिक। भारत सरकार ने दिव्यांग लोगों की चिन्ता और कल्याण के लिए तीन कानून बनाए हैं, जिनमें से एक शिक्षा के समान अवसरों से सम्बन्धित है।

नीतियाँ तथा राजतंत्र हमेशा समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा गरिमा सभी निवासियों के लिए विशेष रूप से विशिष्ट आवश्यकता वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करती है। भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति जो दिव्यांगता वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित है, कहती है "विगत वर्षों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज के प्रत्यक्षण में बहुत व्यापक तथा सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। यह अनुभव किया गया कि दिव्यांग व्यक्ति भी बेहतर गुणवत्तायुक्त जीवन जी सकते हैं यदि उन्हें समान अवसर तथा पुनर्वास मापकों में प्रभावी पहुँच मिले। दिव्यांग व्यक्तियों को समर्थन देने के लिए दिव्यांग व्यक्ति (Person with Disabilities – PWD) अधिनियम, 1995 में पारित किया गया। इस कार्य योजना का उद्देश्य मानसिक/शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध कराना होना चाहिए ताकि वे सामान्य समाज के एक भाग के रूप में विकसित हो सके। जीवन की चुनौतियों को वे साहस तथा आत्मविश्वास से सामना करें, इसके लिए कदम उठाने की आवश्यक है।"

दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में, शिक्षा तथा प्रशिक्षण सशक्त उपकरण होते हैं जो उन्हें आत्मविश्वास प्रदान करते हैं तथा आजीविका के लिए आर्थिक आधार का विकास करते हैं। इस उद्देश्य के लिए सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो सकता है। राष्ट्रीय नीति वक्तव्य में इसके पुनर्वास उपाय भी सम्मिलित हैं, "शैक्षिक पुनर्वास में व्यावसायिक शिक्षा सम्मिलित है।"

दिव्यांगता की प्रकृति के आधार पर विभिन्न समूहों के लिए विशेष रूप से व्यावसायिक पाठ्यक्रम डिजाइन किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक अभिकरण/संस्थाएँ कार्यरत हैं। दिव्यांग व्यक्तियों की मानवशक्त को तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा सात राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए हैं। वे हैं:

i) शारीरिक दिव्यांग संस्थान, नई दिल्ली

ii) राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग संस्थान, देहरादून

iii) राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांग संस्थान, कोलकाता

iv) राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान, सिकंदराबाद

v) राष्ट्रीय श्रवण बाधित दिव्यांग संस्थान, मुंबई

vi) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक

vii) बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के राष्ट्रीय सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का महत्व लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

8.7 केन्द्र और राज्य स्तर पर योजनाएँ

आइए, पहले हम कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समझते हैं जो देश भर में चलते हैं। केन्द्रीय रूप से नियोजित और संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तीन श्रेणियाँ हैं:

क) शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम – राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) से सम्बन्धित देश भर के केन्द्रों (ITI) तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में इंजीनियरिंग तथा गैर–इंजीनियरिंग ट्रेड्स में एक वर्ष से दो वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान करता है।

ख) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम – सन् 1961 के अधिनियम के अनुसार, विभिन्न उद्योगों के प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के लिए एक साल से चार साल तक के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं तथा कार्यक्रम पूर्ण होने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (NAC) प्रदान किया जाता है।

ग) उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम – संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के सहयोग से केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा सन् 1977 में उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का निर्माण आधुनिक उद्योग के लिए अत्यधिक कुशल कर्मियों को विकसित करने के लिए किया गया है। इन योजनाओं को केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (CTIs), उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रारंभ किया गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण एक समवर्ती विषय होने के नाते केन्द्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। राज्य स्तर पर, सम्बन्धित राज्य सरकार के विभाग व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी हैं।

एक केन्द्र द्वारा आर्थिक रूप से प्रायोजित योजना, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण हेतु सन् 1988 में प्रारंभ की गई थी जो राज्यों द्वारा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा औपचारिक क्षेत्रों के लिए गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा गैर–औपचारिक क्षेत्रों के लिए संचालित की गई। वर्तमान व्यावसायिक योजना लचीलापन और गतिशीलता का एक उत्पादन है, जो बाजार की तेजी से बदलती माँग पर और सामाजिक आकांक्षाओं पर आधारित है। इन माँगों को पूरा करने के लिए, कई प्रबंधन संरचनाएँ और योजनाएँ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्थापित और कार्यान्वित की जाती हैं। ये योजनाएँ दक्षतापूर्वक नियोजित तथा लागू की गई हैं। इनकी निगरानी भी उसी के अनुसार की गई है।

व्यावसायिक शिक्षा पर नीति निर्माण तथा युक्तिपूर्वक निर्णय लेने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के लिए कार्यकारी परिषद बनाई गई है।

प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह योजना राज्यों के लिए वित्तीय प्रबंधन, क्षेत्र व्यावसायिक पढ़ाई, पाठ्यक्रम की तैयारी, पाठ्यपुस्तक, कार्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, प्रशिक्षण संसाधन पुस्तक, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान और विकास के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली को मजबूत बनाने और मूल्यांकन आदि सुगम बनाता है। यह अल्पकालिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विशिष्ट नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गैर–सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। योजना अब तक 9619 विद्यालयों में 21,000 वर्गों के बुनियादी ढाँचे बना चुकी है। इस योजना के प्रारंभ होने से लेकर दिया गया कुल अनुदान 765 करोड़ रुपया है। विभिन्न समितियोंध्समीक्षा समूहों की सिफारिशों के आधार पर, माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वत्रमान योजना को संशोति किया जा रहा है। अन्य उद्देश्यों में +2 स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लेना लिंग पूर्वाग्रह, सामाजिक–आर्थिक और दिव्यांगता बाधाओं को दूर करना सम्मिलित है। माध्यमिक स्तर पर सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना और सन् 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण करना सम्मिलित है। योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाएँ हैंः (i) अतिरिक्त कक्षा कक्ष, (ii) प्रयोगशालाएँ, (iii) पुस्तकालय, (iv) कला और शिल्प कक्ष, (v) शौचालय ब्लॉक, (vi) पीने के पानी का प्रावधान और (vii) दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय छात्रावास।

इसी प्रकार, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) का प्रस्ताव रखा, जो विशेष रूप से वंचित क्षेत्र की कुशलता में उन्नयन करना। ज्ञान के संदर्भ में एक से दस की योग्यता की श्रृंखला की व्यवस्था के द्वारा, अर्ध–कुशल और अकुशल जनसंख्या के लिए नियोजनीयता की बेहतर व्यवस्था करना।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (2013) के प्रमुख तत्व निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करते हैं :

- अंतरराष्ट्रीय समानता के लिए अग्रणी विभिन्न स्तरों पर कौशल प्रवीणता और दक्षताओं को पहचानने के लिए राष्ट्रीय सिद्धांत
- व्यावसायिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के बाजार के बीच बहुविकल्पीय प्रवेश और निकास,
- कौशल योग्यता ढांचे के अंतर्गत परिभाषित प्रगतिशील पथ
- आजीवन सीखने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अवसर
- उद्योग/नियोक्ताओं के साथ साझेदारी
- विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए एक पारदर्शी, उत्तरदायी और विश्वसनीय तंत्र राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (2013) का उद्देश्य एक रूपरेखा प्रदान करना है :
- भारतीय शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था की विविधता को समाहित करता है, प्रत्येक स्तर पर योग्यताओं के समुच्चय के विकास की अनुमति देता है। जो पूरे राष्ट्र द्वारा स्वीकृत परिणामों पर आधारित है।
- प्रगति पथों के विकास और रखरखाव के लिए संरचना प्रदान करता है, जो योग्यताओं

तक पहुँच प्रदान करता है और लोगों को विभिन्न शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्रों और श्रम बाजार के बीच सरलता से और सरलता से आगे बढ़ने में सहायता करता है।

- व्यक्तियों को शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रगति करने और उनके पूर्व शिक्षण और अनुभवों के लिए मान्यता प्राप्त करने का विकल्प देता है।
- भारतीय योग्यता की मूल्य और तुल्यता की बढ़ी हुई मान्यता के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क अनुरूप योग्यता वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का समर्थन करता है और बढ़ाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अनुसार, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय इस प्रयास की देखरेख के लिए उद्योगों के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों तथा व्यावसायिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक राष्ट्रीय समिति का गठन करेगा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)।

कौशल विकास कार्यक्रमों की कुछ योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना (ATS)
- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
- शिल्पकार प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना
- कौशल विकास पहल योजना (SDIS)
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)
- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIS)
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)
- एकीकृत कौशल विकास योजना (ISDS)
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDPS)
- उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ESDPS)
- सेवा प्रदान करने के लिए क्षमता निर्माण की योजना (हुनर से रोजगार तक) पहल
- पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास की योजना
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से दूरस्थ व्यावसायिक शिक्षा संस्थान कार्यक्रम मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से व्यावहारिक सीखना (AVI)
- जन शिक्षण संस्थान
- आदिवासी युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का समर्थन

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

8) भारत में संचालित तीन प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नाम बताएँ।

.....

.....

.....

.....

.....

9) व्यावसायिक शिक्षा की किसी योजना के बारे में लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

8.8 सारांश

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को राष्ट्र में शिक्षा के विचार का एक महत्वपूर्ण घटक मानता है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए गतिशील राष्ट्रीय संदर्भ में अपने हिस्से को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए और भारत के लिए रचनात्मक जनसांख्यिकी लाभांश के परिणामों का आनंद लेने के लिए, उन्हें चलायमान, समकालीन, प्रासंगिक, समावेशी और व्यावसायिक बनाने के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण तत्वों को फिर से परिभाषित करने की तत्काल आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा को प्रासंगिक और रचनात्मक बनाने के मार्ग में कई मजबूत मुद्दे और चुनौतियाँ हैं। योग्य शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं की अनुपस्थिति, नियमों और प्रमाणन में अंतर, अपर्याप्त संपर्क, रोजगार बाजार की असंतुलित माँग, आपूर्ति, असहायधारण और सार्वजनिक मानसिकता, सरकारी संस्थाओं तथा विनियमित तंत्र के मध्य समंजन का अभाव, अप्रचलित पाठ्यक्रम स्वायत्तता का अभाव, आदि।

सरकार, पर्यवेक्षकों की एक टीम स्थापित कर सकती है जो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के मामलों की निगरानी, नियंत्रण और कार्यान्वयन के बेहतर तरीकों पर सरकार को सलाह देगी। आपको अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए कि आपका ज्ञान देश के आर्थिक उत्थान और सामाजिक विकास का जनक है। वे देश जिन्होंने अपने ज्ञान और कौशल के स्तर में सुधार किया है वे ही वैश्विक दुनिया की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करने में अधिक सफल और प्रोत्साहक हुए हैं। हमारा देश ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था और उसके भविष्य में परिवर्तित हो रहा है। आपकी क्षमताओं से निर्धारित किया जाएगा, आप लोग जो ज्ञान को अधिक प्रभावी ढंग से उत्पन्न, बाँटना तथा उपयोग कर सकेंगे। इस संक्रमण के लिए सभी रचनाकारों को ज्ञान रचनाकारों को विकसित करने की आवश्यक होगी जो अधिक लचीले, तार्किक, अनुकूलनीय और बहुकौशल होंगे। नई ज्ञान अर्थव्यवस्था में, कौशल समुच्चय में पेशेवर, प्रबंधकीय, परिचालन और व्यवहार, अंतर व्यक्तिगत और अंतर कार्यात्मक कौशल सम्मिलित होंगे।

8.9 इकाई की समाप्ति पर अभ्यास कार्य

1) शिक्षा के व्यावसायीकरण में आई.टी.आई. की भूमिका की आलोचनात्मक जाँच करें।

2) अपने जिले/राज्य में व्यावसायिक शिक्षा की पहलों का अन्वेषण करें और बताएँ कि वहाँ किस मॉडल का पालन किया जा रहा है?

3) अपने आसपास के क्षेत्र में किसी भी कौशल विकास केन्द्र पर जाएँ और कौशल भारत में इसके कार्यों और योगदान पर एक रिपोर्ट तैयार करें।

8.10 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

भारत सरकार (1964–66). शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (1964–66), नई दिल्लीः शिक्षा मंत्रालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020). एमएचआरडी, भारत सरकार, नई दिल्ली

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2007). रिकमेंडशेन्स ऑन वोकेशनल एजुकेशन, पप्17–19

एनसीईआरटी (2007). पोजिशन पेपर्स, नेशनल फोकस ग्रुप पेपर ऑन "वर्क एंड एजुकेशन", नई दिल्ली, एनसीईआरटी

एन.एस.क्यू.एफ. (2013). नेशनल स्किल डेवलेपमेंट। एम.एस.डी.ई., भारत सरकार, वेबसाइट https://www.nsda.gov.in/nsqf को पुनः प्राप्त हुआ।

पेरिस, के. (1994). ए लीडरशिप मॉडल फॉर प्लानिंग एंड इम्पलीमेंटशन चेंज फॉर विद्यालय टू वर्क ट्रांन्सीशन मॉडल, मैडिसन, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन–मैडिसन, सेन्टर ऑन एजुकेशन एंड वर्क

पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (1999). शिक्षा का व्यावसायिककरणः नए मिलेनियम के लिए परिप्रेक्ष्यः एक चुनौती, भोपालः पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के दिशानिर्देश, भोपालः पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान ओरिएंटेशन गाइड ऑन वोकेशनलिसेशन ऑफ एजुकेशन, भोपालः पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान।

पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षणः चुनौतियां और रणनीतियाँ, साचटी, ए.के., वर्मा ए.पी. एवं मेहरोत्रा वी.एस., द्वारा संपादित, भोपालः पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान।

पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षणः वर्तमान अभ्यास और भविष्य के निर्देश, पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्टः पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

राव वी. (2003). वोकेशनल एजुकेशन, नई दिल्ली, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कार्पोरेशन।

स्टोक्स एच., एवं अन्य (2006). स्कूल्स, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड पार्टनरषिपः

कैपेसटी–बिल्डिंग इन रूरल एंड रीजनल इकानॉमिक्स, नेशनल सेंटर फॉर वोकेशनल एजुकेशन रिसर्च, ऑस्ट्रेलिया

यूनेस्को (1996). लर्निंग द ट्रेजर विदइन – रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर दि ट्वंटी–फर्स्ट सेंचुरी, पेरिसः यूनेस्को।

यूनेस्को (2002). टेक्नीकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड टीचिंग फॉर द ट्वंटी–फर्स्ट सेंचुरी, यूनेस्को और आई.एल.ओ. रिकमेंडेशन

संयुक्त राष्ट्र (2002). रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड सुमिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलेपमेंट, जोहान्सबर्गः संयुक्त राष्ट्र

वैद, डी.के. (2007) नेशनल फोकस ग्रुप पेपर ऑन वर्क एंड एजुकेशन, नई दिल्लीः एनसीईआरटी

वेंकटैया एस. (2000). वोकेशनल एजुकेशन, नई दिल्लीय अनमोल पब्लिकेशन प्रा. लिमिटेड।

8.11 अपनी प्रगति की जाँच के लिए उत्तर

1) आयोग ने शिक्षा को पूरे देश में 10+2+3 पैटर्न एक समान पैटर्न में पुनर्गठन करने का सुझाव दिया, जिसमें सभी स्तरों पर शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं में विविधता लाने के लिए दस साल की अविभाजित शिक्षा को +2 स्तर पर रखा गया। इसने सामान्य शिक्षा में कार्य अनुभव कार्यक्रम (WEP) और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (VEP) के व्यावसायिक पुनर्निर्माण की योजनाओं को प्राथमिकता दी।

2) पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल और भारत का कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई।

3) व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी रूप से तभी लागू किया जा सकता है जब इसके लिए आवश्यक उपकरण, कार्यशालाएँ, प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हों। अतः यह आवश्यकता हो जाता है कि प्रत्येक संस्थान समीप के उद्योगों के साथ सहयोग करें और उनकी सुविधाओं का उपयोग विद्यार्थियों के प्रशिक्षण में करें। इसके साथ व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में योगदान देने के लिए उद्योगों में विशेषज्ञों को एक प्रशिक्षणकर्त्ता, पाठ्यक्रम विकासकर्त्ता के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

4) i) वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए मानवशक्ति का विकास करने के लिए आवश्यक कुशलताओं को पहचानाना।

   ii) स्थानीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन।

5) दूरस्थ शिक्षा की मुक्तता तथा लोचनीयता की विशेषता के कारण व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण दूरस्थ माध्यम से विविध लक्षित समूहों जैसे मध्य में विद्यालयी शिक्षा छोड़ने वालों, अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों को बीच में छोड़ने वालों, लड़कियों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, निर्धनता रेखा से नीचे वाला समूह, अशिक्षित, शिक्षित बेरोजगार तथा अल्पबेरोजगार युवा तथा वयस्कों की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

6) भारत के युवा राष्ट्र होने के लाभ हैंः

   i) युवाओं की ऊर्जा को संरचनात्मक तथा उत्पादनात्मक कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है।

ii) कुशल तथा सृजनशील मानव शक्ति को संपन्नता उत्पन्न करने वालों में रूपांतरित किया जा सकता है।

7) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यह उनके आत्मविश्वास का निर्माण करने तथा आजीविका के लिए आर्थिक आधार विकसित करने का सशक्त उपकरण है।

8) शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम और उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

9) माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY